

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(कल्याण शाखा)

पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कल्याण विभाग के गैर सरकारी संस्थान द्वारा संचालित छात्रावासों में
वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपस्कर की आपूर्ति हेतु सामग्रियों की सूची :-

01. एल0सी0डी0 (सैमसंग/सोनी/ओनिडा/विडियोकॉन) (साईज 42" ईच)
02. लोहे की चौकी - लंबाई 6', चौड़ाई 3', ऊँचाई 1.5', 1.25" Sqr. Pipe का फ्रेम जिसमें 30 x 3 mm का एंगल एवं 25 mm प्लाई बोर्ड के साथ ।
03. बेंच एवं डेस्क (लोहे/लकड़ी)- 2 सीटर, चौड़ाई 3', ऊँचाई 30", 1 ईच Sqr. Pipe, 16 गेज का फ्रेम एवं 19 mm वाटर प्रुफ बोर्ड सहित ।
04. गद्दा (सिंगल साईज) - लंबाई 6', चौड़ाई 3' एवं ऊँचाई 4" जिसमें 2" कॉयर एवं उपर-नीचे एक-एक ईच उच्च गुणवत्ता का फोम/रुई का ।
05. टेबल (बड़ा साईज ड्रावर के साथ) - 4' x 2' एवं दोनों तरफ ड्रावर सहित, लोहे का फ्रेम एवं सनमाईका का टॉप ।
06. स्टील अलमीरा (78/34/19) 24 गेज 1 लॉकर सहित
07. कुर्सी - प्लास्टिक का - बांह एवं बिना बांह का (सुप्रीम/नीलकमल/सूपर/बजाज)
08. नोटिस बोर्ड - 3' x 2' लकड़ी का (शाल/पियाशाल/सागवान/शीशम)


जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।

उपायुक्त-सह-जिला दण्डाधिकारी का कार्यालय,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर
(कल्याण शाखा)

**पूर्वी सिंहभूम जिलान्तर्गत कल्याण विभाग के गैर सरकारी संस्थान द्वारा संचालित छात्रावासों में
वित्तीय वर्ष 2015-16 में उपस्कर की आपूर्ति हेतु निविदा की शर्तें :-**

1. निविदादाता को बिक्री कर विभाग में निबंधन का अनुज्ञप्ति प्रमाण-पत्र की अभिप्रमाणित छायाप्रति देना अनिवार्य होगा ।
2. निविदा के साथ निविदादाताओं को आयकर रिटर्न 2014-15, पैन कार्ड एवं बिक्री कर स्वच्छता प्रमाण-पत्र की अद्यतन अभिप्रमाणित छायाप्रति अनिवार्य रूप से संलग्न करना होगा ।
3. निविदा के साथ अग्रधन के रूप में 12,000/- (बारह हजार) रुपये बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर के पदनाम से निविदा के साथ प्लेज्ड करना अनिवार्य होगा । बिना बैंक ड्राफ्ट/राष्ट्रीय बचत प्रमाण-पत्र के निविदा पर विचार नहीं किया जाएगा ।
4. निविदा के सामग्रियों का दर सूची अनुसार अंकित करेंगे । किसी प्रकार का कटिंग या ओवर राईटिंग होने पर इसपर विचार नहीं किया जाएगा ।
5. दर निर्धारण के समय नमूना एक-एक प्रति अच्छे गुणवत्ता एवं सर्वनिम्न दर पर निविदा का निर्धारण किया जाएगा ।
6. उपस्कर की आपूर्ति हेतु निविदादाताओं को उद्योग विभाग में निबंधन का प्रमाण-पत्र संलग्न करना अनिवार्य होगा ।
7. स्वीकृत आपूर्तिकर्ताओं को सामग्रियों की आपूर्ति इस जिला अन्तर्गत अवस्थित आवासीय विद्यालयों/छात्रावासों में पहुंचाकर करनी होगी जिसके लिए अलग से परिवहन व्यय देय नहीं होगा ।
8. स्वीकृत निविदादाता को किसी भी परिस्थिति में आपूर्ति बाधित नहीं करनी होगी । आपूर्ति बाधित करने पर उसे काली सूची में नाम दर्ज की जा सकती है एवं अग्रधन की राशि जब्त की जा सकती है । भुगतान के विलम्ब होने पर आपूर्तिकर्ता किसी तरह का हर्जाना या भरपाई का दावा नहीं करेंगे ।
9. इस आशय का शपथ-पत्र देंगे कि किसी जिला में उन्हें काली सूची में नहीं डाला गया है तथा उनपर तथा फर्म पर किसी भी जिला में प्राथमिकी दर्ज नहीं है ।
10. निविदा के साथ पूर्व वित्तीय वर्ष का अंकेक्षण प्रतिवेदन जिसमें वार्षिक टर्न ओवर कम-से-कम पचास लाख रूपया हो की छायाप्रति संलग्न करनी होगी ।
11. निविदादाताओं को सरकार के पक्ष में जिला कल्याण पदाधिकारी, पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर से एकरारनामा करना होगा कि वे आदेशानुसार सामग्रियों की आपूर्ति स्वीकृत दर एवं नमूने के अनुरूप करेंगे । ऐसा नहीं करने पर आपूर्तिकर्ता को अपने खर्च पर सामग्रियों को बदलना होगा ।
12. शर्त युक्त निविदा स्वीकार नहीं किये जाएंगे । समिति द्वारा लिया गया निर्णय ही मान्य एवं अंतिम होगा तथा बिना कारण बताये किसी भी निविदा को स्वीकृत/अस्वीकृत करने का अधिकार जिला क्रय समिति को सुरक्षित होगा ।
13. निविदादाता को निविदा दो शील्ड लिफाफे में देना होगा । तकनीकी बीड में निविदा से संबंधित सभी कागजात तथा दूसरे लिफाफे में सामग्रियों का केवल दर अंकित रहेगा । तकनीकी बीड में सफल निविदादाताओं का ही वित्तीय बीड जिला क्रय समिति के बैठक में खोला जाएगा ।
14. निविदा खोलते समय वांछित सभी कागजातों की मूल प्रति लाना अनिवार्य है ।
15. गुणवत्तापूर्ण नियमानुसार आपूर्ति के उपरान्त विपत्र का भुगतान अनुसूचित जाति सहकारिता विकास निगम, राँची से प्राप्त करना होगा ।



जिला कल्याण पदाधिकारी,
पूर्वी सिंहभूम, जमशेदपुर ।